कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 16.06.2026

□मुगलसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 ग्राम हेरोइन के साथ 03 तस्कर गिरफ्तार

□60 पुड़िया हेरोइन के साथ महिला समेत तीन तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े

□अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त में लिप्त तीन अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में ऑटो से हो रही हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, तीन तस्कर गिरफ्तार

□वाराणसी क्षेत्र में खपाने जा रहे थे हेरोइन, मुगलसराय पुलिस ने किया गिरफ्तार

चन्दौली-उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 15.06.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा न्यू सेन्ट्रल कॉलोनी क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जी.टी.आर. ब्रिज की ओर से आ रहे एक ऑटो वाहन संख्या को रोककर चेक किया गया। पुलिस को देखकर वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान 1.मो० सलीम पुत्र मो0 राजा निवासी बाईपास गोधना, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली, 2.आजीम अंसारी पुत्र वलीउल्ला अंसारी निवासी बाईपास गोधना, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली व 3.शहनाज बेगम पत्नी धर्मेन्द्र मिश्रा निवासी गया, बिहार, हाल पता कसाब महाल थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली के रुप में हुई जिनके कब्जें से ऑटो में रखे एक थैले से कुल 60 पुड़िया में रखा गया अवैध मादक पदार्थ (हेरोइन) बरामद हुआ। बरामद हेरोइन का कुल वजन 13 ग्राम पाया गया। एक ऑटो वाहन संख्या UP 67 BT 1532, तीन मोबाइल फोन तथा कुल ₹200 नगद बरामद किए गए।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे लोग आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थ (हेरोइन) की खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं। बरामद हेरोइन को छोटी-छोटी पुड़ियों में तैयार कर वाराणसी एवं आस-पास के क्षेत्रों में घूम-घूम कर बेचते हैं। दिनांक 15.06.2026 को भी वे लोग उक्त हेरोइन को बिक्री हेतु ऑटो वाहन से लेकर जा रहे थे और पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. मो० सलीम पुत्र मो० राजा निवासी बाईपास गोधना, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

2.आजीम अंसारी पुत्र वलीउल्ला अंसारी निवासी बाईपास गोधना, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

अपराधिक विवरण-

1.मु0अ0सं0 – 293/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.शहनाज बेगम पत्नी धर्मेन्द्र मिश्रा निवासी गया, बिहार, हाल पता कसाब महाल थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

अपराधिक विवरण-

1.मु0अ0सं0 – 293/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 168/2019 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली

3.मु0अ0सं0 85/20 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली

4.मु0अ0सं0 45/22 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली

5.मु0अ0सं0 313/22 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1.13 ग्राम अवैध हिरोईन।

2.एक ऑटो वाहन संख्या UP 67 BT 1532,

3.तीन मोबाइल फोन व कुल ₹200 नगद बरामद।

<u>□फर्जी जमीन बैनामा कर 8.45 लाख रुपये की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>□फर्जी पहचान बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले शातिर ठग को धानापुर पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार</u>

<u>घटना-</u>

प्रार्थिनी लक्ष्मीना देवी पत्नी मुकेश खरवार निवासी ग्राम पुरा चेता दूबे, थाना- धानापुर जनपद- चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरे पास कोई भुमी नहीं है आवासीय भुमी की आवश्यकता थी मेरे पड़ोसी गांव पुरा सीता मिश्र के निवासी मनीष मिश्रा पुत्र स्व0 राम आधार मिश्रा ने मुझे बताया कि आपके घर के पास में ही एक जमीन बिक रही है, आप चाहे तो मैं जमीन दिलवा दूँगा, जिस जमीन को मनीष मिश्रा के द्वारा दिलवाने की बात की गई उसके असल मालिक जन्म से ही गांव मे कभी नहीं आये इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिस पर मनीष मिश्रा ने कहा कि जमीन मालिक मेरे सम्पर्क में है तथा मेरी उनसे फोन पर बात हुई है वह जमीन बेचना चाहते है आप पैसा का इन्तजाम कर मुझे बतावें तब नियत तिथी पर जमीन मालिक को सकलडीहा तहसील पर बुलवाकर जमीन का रजिस्ट्री करवा दूँगा पैसा 8 लाख 45000 हजार में दो बिस्वा जमीन मिलेगी। 7 लाख 50,000 हजार मुझसे चेक के बजाय नगद ले लिये तथा पन्चानवे हजार (95000) रूपये मनीष मिश्रा के मोबाइल नम्बर पर मेरे देवर राहुल कुमार के से दिनांक 5 मार्च 2026 को 50,000 (पचास हजार) तथा 6 मार्च 2026 को 45000 (पैतालिस हजार)रूपये ट्रांजेक्शन गुगल पे से भेजा गया। जमीन की रजिस्ट्री के समय मनीष मिश्रा के कहने पर मैं अपने तरफ से गवाह अरविन्द यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव ग्रा तोरवा थाना धानापुर जनपद चन्दौली व अपने पुत्र शुभम खरवार पुत्र मुकेश खरवार को लेकर गयी। रजिस्ट्री मेरे व मेरे सगे देवर राहुल कुमार पुत्र सदानन्द को 1-1 बिस्वा हुआ। मुझे बाद में पता चला कि जमीन के मालिक अरशद पुत्र शम्सुद्दीन के स्थान पर मनीष मिश्रा द्वारा फर्जी आधार कार्ड फर्जी पैन कार्ड तैयार करा कर दूसरे व्यक्ति का फोटो लगाकर उस व्यक्ति को अरशद पुत्र शम्सुद्दीन ग्राम पुरा चेता दूबे थाना धानापुर, जनपद चन्दौली बता कर, खड़ा कर आठ लाख पैतालिस हजार रुपया (8 लाख 45000) में दो बिस्वा जमीन बैनामा करा दिये जबकि जमीन के मालिक को कुछ पता नही है। सम्पूर्ण पैसा मनीष मिश्रा ने रख लिया है। प्रार्थिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>चन्दौली-</u>उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धानापुर त्रिवेणी लाल थाना धानापुर के नेतृत्व में थाना धानापुर द्वारा आज दिनांक 16.06.2026 को मु0अ0सं0 63/2026 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मनीष मिश्रा पुत्र स्व0 रामआधार मिश्रा निवासी ग्राम पुरा सीता मिश्र थाना धानापुर जनपद चन्दौली को मुखबिर की सूचना के आधार पर नरौली मोड़(कस्बा धानापुर) से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.मनीष मिश्रा पुत्र स्व0 रामआधार मिश्रा निवासी ग्राम-पुरा सीता मिश्र थाना धानापुर जनपद चन्दौली ।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु.अ.सं. 63/2026 धारा 318(4)/338/336/340(2)/319(1) बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

□ गोवंश तस्करी पर कन्दवा पुलिस का बड़ा प्रहार

□थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप वाहन से बिहार ले जाए जा रहे कुल-10 गोवंश को बरामद किया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजीव मल्ल के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.06.2026 को थाना कन्दवा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों, संदिग्ध व्यक्तियों तथा अवैध पशु तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को एक बोलेरो पिकअप वाहन में लादकर बिहार राज्य की ओर वध हेतु ले जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा ग्राम अदसड़ नहर तिराहा पर पहुंचकर घेराबंदी कर चेकिंग शुरु की गई। कुछ ही देर ग्राम बहेरा रोड के तरफ से एक पिकअप वाहन आता हुया दिखाई दिया। पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक पिकअप को तेजी गति से चलाते हुये भगाने लगा, पुलिस टीम द्वारा पीछा करने परवाहन को ग्राम अदसड़ नहर कैनाल के पास वाहन को खड़ा करके चालक/अभियुक्त नाम पता अज्ञात झाड़ झंखाड़ का फायदा उठाकर भाग गया। तत्पश्चात गाड़ी के पास पहुँच कर पुलिस टीम की मदद से गाड़ी का डाला खोलकर देखा गया तो पिकअप वाहन UP70NT0853 व चेचिस नं0 MA1RA2TTKR1A16658 व इंजन नं0 TTR1A10779 में अन्दर कुल 10 राशि गोवंश (07 राशि बैल व 03 राशि गाय जिसमें 04 राशि बैल मृत) को बरामद किया गया। बरामदगी के क्रम में थाना कन्दवा जनपद चन्दौली पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109(1)/325 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का दिनाँक समय व स्थान-

दिनाँक 16.06.2026 को समय करीब 08.35 बजे पिकअप वाहन UP70NT0853 से अन्दर कुल 10 राशि गोवंश (07 राशि बैल व 03 राशि गाय जिसमें 04 राशि बैल मृत) अदसड नहर कैनाल के पास से बरामद किया गया। बरामदशुदा पिकअप उपरोक्त को 207 एम.वी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी का विवरण-

कुल 10 राशि गोवंश (07 राशि बैल व 03 राशि गाय जिसमें 04 राशि बैल मृत)

01 पिकअप वाहन (UP70NT0853)